न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री महेन्द्रसिंह पिता अर्जन राजपूत **बनाम** कामिनी पिता नटवर राजपूत वगैरह

पत्रावली संख्या– 31/2022

प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
	दिनांक 11.06.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा पीठ के खाता सं. 589 के खसरा सं. 480/1, 480/2, 485, 486, 488, 489, 490 में वादी के हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करें, प्रार्थी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, न ही किसी अन्य को विक्रय करे एवं प्रार्थी के हिस्से में निर्माण कार्य न करे और न ही ऐसा कृत्य करें, जिससे कि प्रार्थीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावें। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसे में रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा पीठ के खसरा संख्या 480/1, 480/2, 485, 486, 488, 489, 490 की भूमि में दोनों पक्ष मूल वाद के फैसले तक एक–दूसरे के कब्जेशुदा भूमि में किसी प्रकार से अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि में काश्त करें एवं एक–दूसरे को काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, वादग्रस्त भूमि विक्रय अथवा बक्शीश न करें एवं ऐसा कृत्य, जिससे कि दोनों पक्षों के स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावें। ऐसे में दोनों पक्षों को रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner